

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 376

दिनांक 25/03/2025

अनवान :-

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण
पीराराम वगैरा बनाम किरस्तुराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बावत ।

राजस्व आवेदन सं. 136/2024

दिनांक : 19.03.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बीजासर के मौजा बीजासर के खेत खसरा सं. 283, 1224/285 रकबा क्रमशः 06.0703, 02.7680 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो विप्रार्थीगण के खसरों की पूर्व में की गई नेखमबंदी में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 377 to 380

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी पीराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण किरस्तुराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 25/03/2025



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन